पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –210/2023

नवान :

सलेमान वल्द जगदीशखां जाति मुसलमान निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1.जगदीशखां वल्द भादरखां जाति मुसलमान निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.मरियम पुत्री जगदीशखां जाति मुसलमान निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार जोईया :–वादी
2 अधिवक्ता श्री सुखवीरसिह :–प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 15/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सत्तार जोईया व सुखवीर सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 11 आर.डब्ल्यू.डी. जमाबंदी खाता संख्या 73/67 में अंकित कुल 0.9870 हैक्टर आराजी में जगदीश खां के 1/2 हिस्सा तथा चक 13 आर.डब्ल्यू.डी. के जमाबंदी खाता संख्या 62/35 में अंकित कुल 0.8600 हैक्टेयर आराजी में जगदीश खां का 1/2 हिस्सा तथा इसी चक के जमाबंदी खाता संख्या 65/56 में अंकित कुल 3.2890 हैक्टेयर आराजी में जगदीश खां के 2529/6578 हिस्सा, इसी चक के जमाबंदी खाता संख्या 71/6 में अंकित कुल 12.3450 हैक्टेयर आराजी में से जगदीश खां के 253/12345 हिस्सा तथा चक भुरानपुरा पुरानी के जमाबंदी खाता संख्या 46/39 मे अंकित कुल 0.2530 हैक्टेयर आराजी में से जगदीश खां के 1/2 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 11 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 73/67, चकनं0 13 आर डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0

Scanned with CamScanner

62/35, 65/56, 71/6 तथा चक भुरानपुरा बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 46/39 में प्रतिवादी जगदीश खाँ का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
★ टिब्बी ★